प्रेषक,

महानिदेशक,

दीनदयाल उपाध्याय,

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

1. **आयुक्त एवं प्रशासक,**

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना,

23–सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**

रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना,

117/एच–2/193, पान्डुनगर, कानपुर।

पत्रांक : 3518 /पिमवर्कशाप/2013–14 दिनांक : 31 दिसम्बर, 2013

विषय : उ0प्र वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण क्षेत्रों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स में ''सहभागी सिंचाई प्रबन्धन'' के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनपद स्तरीय लांचिग कार्यशालाओं का आयोजन।

महोदय,

उ0प्र वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत समन्वित जल संसाधनों के प्रबन्धन हेतु संस्थागत विकास, जल उपयोग क्षमता एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ''जल उपभोक्ता समितियों'' को गठित करने के वास्ते कृषकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने की आवश्यकता है। कृषकों को जागरूक करने का दायित्व शासन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को सौंपा गया है। कृषकों व सिंचाई कार्यों का किसी न किसी रूप में पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज विभाग, कृषि, उद्यान, लघु सिंचाई व भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग से भी सम्बन्ध है।

2. गांव–गांव कृषकों को जाकर संचेतित करने से पूर्व जनपद स्तर पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स की सहभागिता प्राप्त करने एवं ''सहभागी सिंचाई प्रबन्धन'' के प्रति जागरूकता का माहौल बनाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आपके जनपद में एक लांचिग कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला एक दिवसीय (प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक) होगी।

क्रमशः........2/–

3. अनुरोध है कि **संलग्नक** में दी गयी समय–सारिणी के अनुसार सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी को निम्नांकित तालिका के अनुसार अपने जनपद में आयोजित लांचिंग कार्यशाला में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

विभाग का नाम	**प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की संख्या**	**प्रतिभागी करने वाले कर्मचारियों की संख्या** (सींचपाल, भूमि संरक्षण निरीक्षक व सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक)	**प्रतिभाग करने वाले प्रगतिशील कृषक/उपभोक्ता समूह के सदस्य**
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग	2	5	10

नोट – प्रतिभागी कृषकों को निर्धारित दर पर यात्रा–व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।

संलग्नक : **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(डॉ0 वरदानी)
संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु** –

1. **मुख्य विकास अधिकारी,** जनपद– बाराबंकी, मैनपुरी, एटा, कासगंज (कांशीरामनगर), कानुपर नगर, कानुपर देहात, फतेहपुर व कौशाम्बी।
2. सम्बन्धित आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान/जिला प्रशिक्षण अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर प्रतिभागियों का नामांकन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 वरदानी)
संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक